जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 08.12.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया(इंस्टाग्राम) पर दवा की ओवर डोज खाकर आत्महत्या करने के सम्बन्ध में पोस्ट करने वाली 22 वर्षीय युवती की उसके घर अविलम्व पहुँचकर बचाई गई जान

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के पर्यवेक्षण में दिनांक 07.12.2024 की रात्रि 11:17 PM बजे थाना कोतवाली खलीलाबाद अन्तर्गत बरईपार पैठान धवरिया निवासी युवती द्वारा आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट फोटो वीडियो इस्टाग्राम पर अपलोड किया गया जिसके उपरान्त मेटा कम्पनी से अलर्ट प्राप्त होने के उपरान्त पुलिस मुख्यालय (सिग्नेचर बिल्डिंग), लखनऊ, उ0प्र0 व सोशल मीडिया सेल सन्तकबीरनगर द्वारा आत्महत्या के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को वीडियो, मो0नं0 व युवती की लोकेशन उपलब्ध करायी गयी थी जिसके उपरान्त प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री सतीश कुमार सिंह* के नेतृत्व में तत्काल कार्यवाही करते हुए चौकी प्रभारी बरदहिया श्री ललित कांत यादव, म0का ममता यादव, का0 विशाल सिंह द्वारा इन्ट्राग्राम पर आत्महत्या के सम्बन्ध में पोस्ट करने वाली 22 वर्षीय युवती निवासी बरईपार पैठान धवरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के घर अविलम्ब पहुंचकर उसकी जान बचायी गयी तथा उसकी काउंसलिंग चौकी प्रभारी बरदहिया श्री ललित कांत यादव, म0का ममता यादव, का0 विशाल सिंह द्वारा की गयी काउंसलिंग के दौरान पीड़िता द्वारा बताया गया कि बिमारी दर्द की वजह से अधिक मात्रा में दवा खाकर सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) प्लेटफार्म पर आत्महत्या करने के सम्बन्ध में पोस्ट किया गया था। युवती को उसके परिजनों को सुपुर्द करते हुए मुनासिब हिदायत दी गयी। युवती द्वारा दोबारा ऐसी हरकत न करने के सम्बन्ध में लिखित व मौखिक बयान दिया गया परिजनों ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी व आभार जताया गया।

पुलिस टीम का विवरण

01. चौकी प्रभारी श्री ललित कांत यादव।
02. म0का ममता यादव।
03. का0 विशाल सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 108 वाहनों से 1,20,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 108 वाहनों से 1,20,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत चलाये जा रहे "साथ-साथ कार्यक्रम" के तहत परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना द्वारा 06 परिवारों के मध्य कराया गया सुलह समझौता

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में चलाये जा रहे ***'साथ-साथ' कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल)*** के तहत आज दिनांक 08.12.2024 को परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद संतकबीरनगर पर प्रभारी निरीक्षक ***सुश्री सरोज शर्मा*** एवं नियुक्त सदस्य ***श्री रिफातुल्लाह अंसारी*** की अध्यक्षता में 06 मामले आये। जिसमें सुलह समझौता करवाया गया।

1.**प्रथम पक्ष –**अंजनी पत्नी दुलीचन्द ग्राम गुलरिया थाना को0 खली0 जनपद संतकबीरनगर।

द्वितीय पक्ष –दुलीचन्द पुत्र कोलई ग्राम गुलरिया थाना को0 खली0 जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

2.**प्रथम पक्ष –**नन्दलाल पुत्र हुबलाल साकिन गोरयाभार सिकरी थाना को0 खली0 जनपद संतकबीरनगर।

द्वितीय पक्ष –मनोज कुमार पुत्र शोभनाथ ग्राम ढोढई थाना कोतवाली खली0 जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

3. **प्रथम पक्ष –**नीलम पत्नी बुद्धीराम साकिन हेरई थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।

द्वितीय पक्ष –लालचन्द पुत्र रामसवारे साकिन चंगेरा मंगेरा थाना को0 खली0 जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

4. **प्रथम पक्ष –**शर्मिला पत्नी बुद्धिराम ग्राम हेरई थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।

द्वितीय पक्ष –लवकुश पुत्र स्व0 शिवपूजन,जानकी पत्नी स्व0 शिवपूजन , लक्ष्मीना पुत्री स्व0 शिवपूजन निवासीगण ग्राम हेरई थाना-सहजनवा जनपद गोरखपुर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

5. प्रथम पक्ष –रीना देवी पत्नी रोहित साकिन अतरीनानकार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीकरनगर।

द्वितीय पक्ष –सुमित्रा जेठ बुद्धिराम पुत्र गौरी, मीना पत्नी बुद्धिराम आदि निवासी साकिन अतरीनानकार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीकरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

6. **प्रथम पक्ष** -सपना पुत्र रामप्रसाद साकिन मीरगंज थाना कोतवाली खली0 जनपद संतकबीरनगर।

द्वितीय पक्ष – रानु पुत्र चिथारु ग्राम अमिल्हवा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।